न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर
बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस
प्रकरण सं. 213/15/टीआई

1. झाबरमल पुत्र स्व. श्री घीसाराम जाति जाट निवासी सांवलपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

—प्रार्थी

बनाम

1. दुर्गादेवी पत्नी स्व. श्री घीसाराम
2. बाबूलाल पुत्र स्व. श्री घीसाराम
3. मूलाराम पुत्र श्री डूंगाराम
   समस्त जाति जाट निवासीगण सांवलपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
4. पटवारी, पटवार हल्का, अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
5. उप पंजीयक, पलसाना जिला सीकर
6. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

—अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति—
1- श्री उत्तम कुमार शर्मा वकील प्रार्थी की ओर से
2. श्री योगेश शर्मा वकील अप्रार्थी सं. 1 व 3 की ओर से

निर्णय दिनांक= 25.01.2016

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 के संयुक्त खाते कब्जे काश्त की कृषि भूमियां खसरा नं. 394 रकबा 3.04 है0 वाके ग्राम सांवलपुरा प.मं. अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तंन में अवस्थित है। जिसमें प्रार्थी का 1/4 हि. एवं कब्जा काश्त है पक्षकारान अपने अपने हक हिस्से के अनुसार काश्त करते चले आ रहे है। उपरोक्त भूमि का पक्षकारों के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विधिवत रूप से बंटवारा नहीं हुआ है। पक्षकारान कभी शामिल में और कभी अंदाज से अपने अपने हक हिस्से व कब्जे के अनुसार काश्त कर लेते रहे है। वादग्रस्त भूमि का विधिवत बंटवारा नहीं होने के कारण प्रार्थी को काफी परेशानी हो रही है वादग्रस्त भूमि अविभाजित होने के बावजूद भी पूर्व में कई अप्रार्थीगण ने विक्रय कर दी है जबकि कानूनन विधिवत बंटवारा नहीं हो जाता तब तक विक्रय नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर हक अकिार होता है। अप्रार्थीगण बदमाश किस्म के व्यक्ति है उनमें से कई अप्रार्थीगण ने तो वादगस्त भूमियां विक्रय कर दी है तथा शेष अप्रार्थीगण भी बिना बंटवारा करवाये ही विक्रय करने पर आमादा है जिनका उनको कोई हक अधिकार नहीं है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को बंटवारा कराने के लिये कहा तो अप्रार्थीगण बंटवारा करवाने से इंकार हो गये और कहा कि हम तो बिना बंटवारा करवाये ही भूमियों का विक्रय करेंगे। दिनांक 09.12.2015 को अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 अपने साथ कुछ भू माफिया गिरोह के व्यक्तियों को लेकर आये तथा वादग्रस्त भूमियों को मनमाने अति कीमती भू भाग पर कब्जा करने की कुचेष्टाएं करने लगे। प्रार्थी द्वारा इसका एतराज करने पर वे लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो गये। प्रार्थी का प्रथमदृष्टया मामला सबल एवं सुदृद्ध है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में तथा अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी को होने की संभावना है। अतः आवेदन मय शपथ पत्र प्रस्तुत कमर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई

Scanned with CamScanner

निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावें कि वे आवेदन के पैरा सं. 2 में वर्णित भूमि खसरा नं. 394 रकबा 3.04 है. के प्रार्थी के कब्जे काश्त के किसी विशिष्ट हिस्से को वाद के निस्तारण तक किसी दीगर व्यक्ति को विक्रय करने, प्रभारित व हस्तांतरित करने से बाज रहे तथा अप्रार्थीगण को रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रो पाबन्द फरमाया जावें।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 4 ता 6 राज्य सरकार के प्रतिनिधि है तथा फोरमल पक्षकार बनाये गये जिनकी तामील प्राप्त नहीं हुई है तथा उनके विरूद्ध किसी तरह की इश्तदुआ नहीं चाही गई है जबकि प्रभावित पक्षकार अप्रार्थी सं. 1 ता 3 की ओर से वकील हाजिर होकर आवेदन जवाब पेश कर दिया है इसलिए आवेदन का अंतरिम रूप से निस्तारण न करके संपूर्ण आवेदन का निस्तारण किया जा रहा है जिसका वकील प्रार्थी द्वारा कोई एतराज व्यक्त नहीं करके आवेदन स्थगन की बहस की गई है। अप्रार्थी सं. 1 ता 3 की ओर से वकील श्री योगेश शर्मा उपस्थित हुए व प्रार्थी द्वारा आवेदन में जिस प्रकार कथन किये है गलत है स्वीकार नहीं है। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 ने अपने जवाब में कथन किया कि उतरदातागण ने कभी भी विधिवत बंटवारा करवाने के लिए इंकार नहीं किया है। वादग्रस्त भूमियों का खातेदारान ने आपस में मौखिक रूप से बंटवारा कर अपना अपना हिस्सा अलग कर रखा है तथा सहखातेदार अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं व जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए अपना हिस्सा बेचान करने हेतु स्वतंत्र है एवं सहखातेदारान को कानूनन विक्रय हेतु स्थगन से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। उतरदातागण स्वयं ही 3/4 हिस्से पर काबिज काश्त है। प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति उतरदातागण के पक्ष में होने से आवेदक का आवेदन प्रथमदृष्टया ही निरस्तनीय है।

3. बहस उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए बहस के दौरान कथन किया कि विवादित आराजियात का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है जबकि कानूनन विधिवत बंटवारा नहीं हो जाता तब तक विक्रय नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर हक अधिकार होता है। प्रार्थी का प्रथमदृष्टया मामला सबल एवं सुदृढ है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है है तथा विधिवत बंटवारा किये बिना विक्रय किये जाने से अपूर्तनीय क्षति प्रार्थी को होगी। वकील प्रार्थी के अपनी बहस के समर्थन में दृष्टांत पेश किये है–

1. 1989 आरआरडी पेज 595,
2. 1981 आरआरडी पेज 639,
3. 1995 आरआरडी पेज 717,
4. 1989 आरआरडी पेज 594 व
5. 1996 आरआरडी पेज 148 (लार्जर बैंच)

इसके विपरीत वकील अप्रार्थीगण ने आवेदन स्थगन के जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए बहस के दौरान कथन किया है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 विवादित भूमि का बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा प्रार्थी ने अपने आवेदन स्थगन के पैरा सं. 2 में स्वीकार किया है कि प्रार्थी का 1/4 हि. पर कब्जा काश्त है तथा पक्षकारान अपने अपने हक हिस्से के अनुसार काश्त करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण का 3/4 हिस्से पर कब्जा काश्त है। वादग्रस्त भूमियों का खातेदारान द्वारा बाहमी बंटवारा कर अपने अपने हिस्से पर कब्जा काश्त है तथा सहखातेदार अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं व जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लि अपना हिस्सा बेचने हेतु स्वतंत्र है प्रार्थी बंटवारा का दावा पेश किया है जिसके लिए अप्रार्थीगण इंकार नहीं कर रहे है। कानूनन प्रार्थी सहखातेदार को पाबन्द नहीं करवा सकता। विवादित भूमि के एक सहखातेदार द्वारा पूर्व में अपने हिस्से का बेचान किया गया है। विक्रय पत्र की फोटो प्रति अलग से पेश की जा रही है। इस प्रकार

Scanned with CamScanner

प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के पक्ष में है एवं अप्रार्थीगण को पाबन्द किये जाने से अपूर्तनीय क्षति भी अप्रार्थीगण की होगी इसलिए आवेदन स्थगन खारिज फरमाया जावें। अप्रार्थीगण ने अपनी बहस के समर्थन में धारा 212 के सम्बन्ध में दिये गये निर्णय राजस्व न्यायालय एवं आरआरडी 1994 पेज 581 के दृष्टांत पेश किये गये।

4. हमने वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। ग्राम सांवलपुरा प.मं. अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की जमाबंदी संवत् 2070–73 के खाता सं. 70 के खसरा नं. 394 रकबा 3.04 है0 की खातेदारी दुर्गादेवी पत्नी स्व. घीसा हि. 1/4, मूलाराम पुत्र डूंगाराम हि. 1/4, बाबूलाल, झाबरमल पि. घीसाराम हि.ब.हि. 1/2 दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी ने अपने आवेदन स्थगन के पैरा सं. 2 में स्वयं ने यह उल्लेख किया है कि विवादित आराजियात में प्रार्थी का 1/4 हि. एवं कब्जा काश्त है तथा पक्षकारान अपने अपने हक हिस्से के अनुसारर काश्त करते चले आ रहे है एवं अंत में यह इश्तदुआ चाही है कि आवेदन के पैरा नं. 2 में वर्णित भूमि ख.नं. 394 रकबा 3.04 है. के प्रार्थी के कब्जे काश्त के किसी विशिष्ट हिस्से को विक्रय करने से बाज रहे तथा रिकार्ड एंव मौके की यथास्थिति वाद के निस्तारण तक बनाये रखने हेतु पाबन्द किये जाने का निवेदन किया है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दृष्टांतों का अवलोकन किया गया। आरआरडी 1989 श्यामसुंदर बनाम मंजू शर्मा पैतृक संपति के सम्बन्ध में है, आरआरडी 1995 दारू बनाम कैलाश में वादी का उद्घोषणा का दावा है एवं आरआरडी 1981 भूरसिंह बनाम अमरसिंह में बिना बंटवारे मोटर गैराज का संयुक्त खातेदारी भूमि में किये जाने के सम्बन्ध में है तथा आरआरडी 1996 लार्जर बैंच देवीलाल बनाम देव शंकर में विशिष्ट भूभाग के बचान कर देने के पश्चात् एवं कयकर्ता को आराजी में प्रवेश कर लेने के सम्बन्ध में है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी का बंटवारा का वाद है तथा प्रार्थी को 1/4 हि. राजस्व अभिलेख में दर्ज है। विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णय अनुसार संयुक्त खातेदारी की भूमियों में सहखातेदार पाबन्द नहीं करवा सकता है। इसके विपरीत वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत आरआरडी 1994 सुखा बनाम प्रेम में स्पष्ट उल्लेख किया है कि बंटवारे में दावा में टीआई से पाबन्द नहीं किया जा सकता है चाहे वह पैतृक भूमि है एवं जब वादी एवं प्रतिवादीगण के अलग अलग हिस्सा दर्ज है। कानून सहखातेदार को पाबन्द नहीं किया जा सकता है। उक्त दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण मे अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात ख.नं. 394 कुल रकबा 3.04 है0 वाके ग्राम सांवलपुरा प.मं. अलोदा तहसील दांतरामगढ जिला सीकर प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 ता 3 की संयुक्त खातेदारी की भूमियां है प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के पक्ष में है तथा अप्रार्थी सं. 1 ता 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने से अपूर्तनीय क्षति भी अप्रार्थी सं. 1 ता 3 को होगी। अतः प्रार्थी का आवेदन स्थगन विरुद्ध अप्रार्थीगण सारहीन होने से खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है। मिसल फैसल शुमार होकर दावा के संलग्न हो।

5. यह निर्णय आज दिनांक 25.01.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner